265

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल खण्ड पीठ रीवा संभाग रीवा म0प्र0

निगरानी क्रं0........... / 2013

R. 319-II/14

389

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

श्रीमती रंजना त्रिपाठी पत्नी श्री विनय कुमार त्रिपाठी उम्र 29 वर्ष पेशा ग्रहकार्य निवासी ग्राम बढैया तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0...निगराकार / अपीलांट

बनाम

1) मुस0 विद्यादेवी त्रिपाठी पत्नी श्री स्व0 रामकिशोर त्रिपाठी उम्र 50 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी बढैया तहसील रामपुर बाघेलान सतना जिला सतना म0प्र0...रेस्पा0 / गैरनिगराकार

2) रामकिशोर त्रिपाठी पिता श्री स्व0 इन्द्रलाल त्रिपाठी निवासी बढैया तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 (मृत)...................................
....रेस्पा0 / गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28 / 9 / 2013 राजस्व प्रकरण क्र0 87 / अपील / 2012–13 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 (पीठासीन अधिकारी श्री बी0एल0 साकेत)

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार / अपीलांट निम्नआधारो पर उक्त निगरानी प्रस्तुत कर विनय हैः–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1) यह कि रेस्पांडेन्ट क्रं0 1 / गैरनिगराकार क्र0 1 ने मृतक रेस्पांडेन्ट क्र0 2 की मृत्यु के बाद छल एंव कपट पूर्ण ढंग से रेस्पांडेन्ट क्रं0 2 की बृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुये अपने पक्ष मे दिनांक 10 / 12 / 2010 को कूट रचित ढंग से वसीयतनामा का निस्पादन करवाकर बिना मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारियो को पक्षकार बनाये तथा यह जानते हुये भी कि मृतक रेस्पांडेन्ट क्र0 1 ने

क्रमशः–2

(265)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 319 - II / 14 .... जिला सतना

श्रीमती रचना त्रिपाठी विरूद्ध मु० विद्या देवी

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री रविकुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बघेलान प्रकरण क्रमांक 87 / अपील / 12-13 में पारित आदेश दिनांक 28-9-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

फारा-2